


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 181]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 323 (अ).- केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सा.का.नि. 863(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2014 में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड-3, उप-खंड (i), तारीख 3 दिसंबर, 2014 में प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014में और उन बातों के सिवाए अधिकांत किया है अधिक्रमण किया है या लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

2. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'खाता' से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला जाता है;

(ख) 'खाताधारक' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसके नाम से खाता खोला गया है;

(ग) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5);

(घ) 'बैंक' से इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर अथवा प्राइवेट सेक्टर के वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा से अभिप्रेत है;

- (ड) 'लाभभोगी' से अभिप्रेत है, वह बालिका जो खाता खोलने के समय निवासी भारतीय नागरिक हो और खाता परिपक्व होने अथवा बंद करने तक निवासी भारतीय नागरिक रहती है;
- (च) 'जमा' से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो खाताधारक संरक्षक द्वारा इन नियमों के अधीन खाते में जमा की जाती है;
- (छ) 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जिसमें व्यक्ति और उसका पति/उसकी पत्नी) इनमें से दोनों अथवा दोनों में से कोई एक जीवित अथवा मृत हो (और उनके बालक, दत्तक अथवा अन्यथा हों);
- (ज) 'वित्तीय वर्ष' 01 अप्रैल को आरंभ और 31 मार्च को समाप्त होने वाली समयावधि से अभिप्रेत है;
- (झ) 'संरक्षक' से लाभभोगी का नैसर्गिक अथवा विधिक संरक्षक अभिप्रेत है;
- (ञ) 'सरकार' से वित्त मंत्रालय में भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) 'व्याज दर' से ऐसी दर अभिप्रेत है जो भारत सरकार द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए लागू किए जाने के लिए अधिसूचित की जाए;
- (ठ) 'परिपक्वता' से खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर खाते की परिपक्वता अभिप्रेत है;
- (ड) 'डाकघर' से भारत में स्थित ऐसा डाकघर अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन बचत बैंक का कार्य कर रहा है और खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है;
- (ढ) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ण) 'सीबीएस' से अभिप्रेत है, जो कोर बैंकिंग समाधान मंच अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक मंच जो गति बढ़ाने, एकरूपता लाने और प्रचालन मामलों में आसानी के लिए किसी बैंक और/अथवा डाक विभाग के सभी कार्यालयों को, एक साथ अथवा चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ता है।

3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का लागू होना -

डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) के उपबंध उन मामलों, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में लागू किए जा सकेंगे।

4. खाता खोलना

- (1) खाता संरक्षक द्वारा लाभभोगी के नाम से खोला जा सकता है जिसकी आयु खाता खोलने की तारीख को दस वर्ष है; परंतु इन नियमों की बात होते हुए भी 2 दिसंबर, 2003 को अथवा उसके बाद पैदा हुए लाभभोगी को प्रभावित नहीं करेगा जिसका खाता 2 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले खोला गया था।
- (2) इन नियमों के अधीन प्रत्येक लाभभोगी का एक खाता होगा।
- (3) इन नियमों के अधीन डाकघर अथवा बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन के साथ संरक्षक की पहचान और निवास सबूत होंगे।
- (4) इन नियमों के अधीन एक कुटुम्ब में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जाएगा।

परंतु इसी कुटुम्ब में बालिकाओं के लिए दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं यदि कुटुम्ब में जन्म के पहले दो क्रमों में एकाधिक बालिकाओं के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी बालिका जन्म के क्रम में पहली और/अथवा दूसरी हो :

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक दूसरी बालिका के जन्म पर लागू नहीं होगा यदि उस कुटुम्ब में पहले जन्म से दो या अधिक बालिकाएं जीवित हों।

5. जमा राशियां

(1) यह खाता एक हजार रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकेगा और इसके बाद धनराशि, इस शर्त अध्याधीन एक खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक हजार रुपए जमा किये जाएंगे, खाते में 100 रुपए के गुणक में जमा की जा सकती है।

(2) किसी खाते में एक वित्तीय वर्ष में जमा धनराशि एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजारसे अधिक जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यदि लेखांकन चूक के कारण से ऐसी कोई धनराशि स्वीकार कर ली जाती है :

परंतु और कि एक लाख पचास हजार रुपए कि अधिकतम सीमा से अधिक जमा कराई गई यह धनराशि जमाकर्ता द्वारा कभी भी आहरित की जा सकती है।

(3) ऐसे खाते में धनराशि, खाता खोलने की तारीख से 15 दिन पूरे होने के बाद जमा की जा सकती है।

(4) ऐसे खाते को जिसमें उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि जमा नहीं कराई गई है, व्यतिक्रम खाता माना जाएगा:

परंतु व्यतिक्रम खाते को, चूक के वर्ष (वर्षों) के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम राशि के साथ पचास रुपए की शास्ति के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है।

(5) यदि किसी खाते के मामले में व्यतिक्रम को खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष के भीतर नियमित नहीं किया जाता, तब व्यतिक्रम की तारीख से पहले जमा राशियों से सहित पूरी जमा राशि खाते की परिपक्वता के समय डाकघर/बचत बैंक के लिए विहित ब्याज दर ही लागू होगी और किसी व्यतिक्रम से खाते में गलत तरीके से ब्याज के जरिए जमा की गई किसी भी राशि, संबंधित बैंक अथवा डाकघर के नोटिस में आने के तुरंत बाद शीघ्रातिशीघ्र सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

(6) उप-नियम (5) लागू नहीं होगा यदि यह व्यतिक्रम खाता धारक के संरक्षक के मृत्यु की वजह से हुई है जिसने खाता खोला है और ऐसे मामलों में खाते पर नियम 7 के अधीन ब्याज के लिए पात्र होगा।

6. जमा का ढंग और तारीख

(1) इस खाते में धनराशि, संबंधित संरक्षक अथवा लाभभोगी द्वारा जमा की जा सकती है यदि लाभभोगी की आयु दस वर्ष से अधिक हो गई है।

(2) इसमें खोले गए खाते में रकम -

(क) नकद; अथवा

(ख) संबंधित डाकघर के डाकपाल या लिखत बैंक के प्रबंधक, जहां खाता खुला है, के नाम से चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और ऐसी लिखत पृष्ठांकन के पीछे जमाकर्ता द्वारा खाताधारक का नाम और खाता संख्या जिसमें रकम जमा की जाएगी, की पुष्टि की जाएगी और हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ग) संबंधित डाकघर अथवा बैंक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-अंतरण) के जरिए यदि उस डाकघर अथवा बैंक में सीबीएस की सुविधा है।

(3) खाते में जमा नामे किए जाने की तारीख का अवधारण निम्नानुसार होगा:

(क) जहां जमा चेक द्वारा किया जाता है, वहां चेक के भुनाने की तारीख;

(ख) जहां जमा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, वहां मांगदेय ड्राफ्ट बैंक अथवा डाकघर में प्रस्तुत करने की तारीख; और

(ग) जहां जमा ई-अंतरण द्वारा किया जाता है, वहां जमा करने की तारीख।

7. जमा रकम पर ब्याज

(1) जमा रकम पर ब्याज सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित दर पर वार्षिक संगणित किया जाएगा और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लाभभोगी के खाते में निकटतम रुपए में पूर्णांकित करके नामे किया जाएगा।

(2) किसी कलेंडर मास के लिए ब्याज की गणना, किसी खाते में माह के दसवें दिन और अंतिम दिन के बीच जमा रकम पर न्यूनतम शेषराशि पर की जाएगी।

8. खाते का प्रचालन-

- (1) खाते का प्रचालन, संरक्षक द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक लाभभोगी खाताधारक की आयु दस वर्ष नहीं हो जाती अथवा खाताधारक लाभभोगी की आयु अठारह वर्ष की नहीं हो जाती।
- (2) खाते का संचालन, लाभभोगी खाताधारक द्वारा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किया जाएगा; परंतु खाते का प्रचालन, लाभभोगी खाताधारक द्वारा दस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किया जाएगा।

9. खाता परिपक्वता से पहले बंद करना—

- (1) की दशा में लाभभोगी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर खाते को तत्काल बंद कर दिया जाएगा और संरक्षक को खाते में जमा धनराशि और मृत्यु होने तक इस पर ब्याज संदत्त कर दिया जाएगा।
- (2) यदि खाता खोलने के उपरांत, खाताधारक भारत का नागरिक नहीं रहती अथवा अनिवासी भारतीय बन जाती है, संरक्षक अथवा खाताधारक द्वारा, यथास्थिति खाताधारक की नागरिकता अथवा निवास की स्थिति का यह दर्जा होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर इस अभिप्राय की सूचना संबंधित डाकघर अथवा बैंक को दी जाएगी।
- (3) यदि खाताधारक की नागरिकता अथवा रिहायशी प्रास्थिति में होता परिवर्तन है, ऐसी स्थिति के बदलाव से खाते में कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा और खाते को परिपक्वता पूर्व बंद माना जाएगा।
- (4) उप नियम 3 के अधीन बंद करने की तारीख का खाते की धनराशि का शेष—
- (क) खाताधारक को और यदि खाताधारक जीवित नहीं है, संरक्षक को, देय ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा।
- (ख) यदि खाताधारक के निवास की प्रास्थिति अथवा नागरिकता में परिवर्तन के उपरांत खाते में कोई ब्याज जमा नहीं किया गया है, खाताधारक की स्थिति में ऐसे परिवर्तन की सूचना दिए जाने पर तत्काल संबंधित डाकघर अथवा बैंक द्वारा सरकारी खाते में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- (5) जहां संबंधित डाकघर अथवा बैंक खाताधारक की प्राणघातक बीमारियों में चिकित्सा सहायता अथवा संरक्षक की मृत्यु जैसे अति अनुकंपा आधारों के मामले में समाधान है कि खाते के संचालन अथवा इसे जारी रखने से खाताधारक को अनुचित कठिनाई हो रही है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में प्रलेखीकरण किए जाने वाले कारणों के लिए पूर्ण दस्तावेजी अभिलिखित के उपरांत खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करने की अनुज्ञा दे सकता है।

परंतु इस उप-नियम के अधीन किसी खाते को खाता खोलने की तारीख से पांच वर्ष परिपक्व होने से पूर्व बंद नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि इस उप-नियम के अधीन उपबंधित से भिन्न कारणों से खाता खोलने के बाद किसी भी समय खाता परिपक्वता से पूर्व बंद करने की अनुज्ञा दी जाए और इस मामले में, पूरी जमाराशि डाकघर बचत बैंक के लिए विहित ब्याज दरों के लिए पात्र होगी।

10. पासबुक

- (1) खाता खोलने पर संरक्षक को एक पासबुक दी जाएगी जिसमें खाताधारक का नाम, पता और जन्म की तारीख, खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या संरक्षक का नाम और पता, खाताधारक के साथ नातेदारी और जमा की गई धनराशि का उल्लेख होगा।
- (2) मूल पासबुक के खोने, खराब होने आदि की स्थिति में पचास रुपए के फीस के भुगतान पर संरक्षक अथवा खाताधारक के लिखित अनुरोध पर इसके बाद द्विप्रतिक पासबुक जारी की जाएगी और यह फीस सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।
- (3) संरक्षक अथवा खाताधारक को अपने खाते के अभिलेख को अन्नय रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि संबंधित डाकघर अथवा बैंक में सीबीएस सुविधा हो।

11. खाते का अंतरण

(1) संरक्षक अथवा खाताधारक के आवास के स्थानांतरण का सबूत दिखाने पर खर्च किए बिना और अन्यथा सौ रुपए के फीस के भुगतान पर खाते को उस बैंक में, जिसमें अंतरण किया जा रहा है, भारत में कहीं भी किसी भी डाकघर अथवा बैंक से और डाकघर और बैंकों के बीच अंतरित किया जा सकता है।

(2) यदि संबंधित डाकघर अथवा बैंक में सीबीएस की सुविधा है यह अंतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

12. प्रत्याहरण

(1) खाताधारक की उच्चतर शिक्षा के प्रयोजन के लिए आवेदन के वर्ष से पिछले वित्त वर्ष के अंत में खाते में शेष धनराशि का अधिकतम पचास प्रतिशत प्रत्याहरित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

परंतु इस प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक खाताधारक की आयु अठारह वर्ष की नहीं है अथवा उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, जो भी पहले हो।

(1) उप-नियम 1 के अधीन प्रत्याहरण के आवेदन के साथ किसी शैक्षिक संस्थान ने खाताधारक के प्रवेश की पुष्टि अथवा ऐसी वित्तीय अपेक्षा स्पष्ट करने वाले ऐसे संस्थान से शुल्क प्ररूप के रूप में दस्तावेजी सबूत होगा।

(1) उप-नियम 1 के अधीन प्रत्याहरण, उप-नियम 1 में विनिर्धारित अधिकतम सीमा के अध्ययधीन एकमुश्त अथवा अधिकतम पांच वर्ष के लिए प्रतिवर्ष एक किस्त से अधिक के तौर पर किस्तों में किया जा सकता है।

परंतु प्रत्याहरण की राशि प्रवेश के समय शुल्क और अपेक्षित अन्य प्रभारों की वास्तविक मांग तक निर्बंधित होगी जैसाकि शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रवेश के प्रस्थापना अथवा सुसंगत फीस प्रमाणपत्र में दर्शाया गया हो।

13. परिपक्वता पर खाता बंद करना

(1) खाता, खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर परिपक्व होगा :

परंतु इक्कीस वर्ष की इस अवधि के पूरे होने से पहले खाते को अंतिम रूप से बंद करने की अनुज्ञा दी जा सकती है यदि खाताधारक, खाताधारक के इच्छित विवाह के कारणों से और आयु के प्रमाण की पुष्टि प्रदान करने पर ही आवेदक की आयु, विवाह की तारीख को अठारह वर्ष से कम नहीं होगी, परिपक्वता से पहले बंद करने के लिए आवेदन पत्र पर अनुरोध करती है।

परंतु विवाह की तारीख से एक माह पूर्व अथवा ऐसे विवाह की तारीख से तीन माह के बाद परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जाएगा।

(2) परिपक्वता पर, खाता बंद करने के लिए खाताधारक द्वारा आवेदन किए जाने पर और अपनी पहचान, आवास और नागरिकता के दस्तावेजी सबूत मुहैया कराने पर, खाताधारक को खाते में बकाया ब्याज सहित शेष धनराशि देय होगी।

(3) खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर खाताधारक को कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति

जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का प्रवर्तन खाताधारक को कोई कष्ट पहुंचाता है, वहां सरकार आदेश द्वारा और अन्य कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, खाताधारक के संबंध में उस उपबंध या उपबंधों की अपेक्षा को ऐसी रीति में, जो इन नियमों के अन्य उपबंधों से असंगत न हो, शिथिल कर सकेगी।

[एफ.सं. 2/3/2014.एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R.323(E).- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), and in supersession of the Sukanya Samridhi Account Rules, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd December, 2014 vide notification of the Government of

India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number G.S.R. 863(E), dated the 2nd December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement .-

- (1) These rules may be called the Sukanya Samridhi Account Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Account" means the Sukanya Samridhi Account opened in accordance with the provisions of these rules;
- (b) "Account holder" means a person in whose name the Account is held;
- (c) "Act" means the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Bank" means any branch of a public sector or private sector commercial bank authorized by the Government to open an Account under these rules;
- (e) "beneficiary" means an eligible girl child who is a resident Indian citizen at the time of opening of the account and remains so till the maturity or closure of the Account;
- (f) "deposit" means the money deposited by the guardian or by the Account holder in an Account ;
- (g) "family" means a unit consisting of a person and his spouse (both or either of whom are alive or deceased) and their children, adopted or otherwise;
- (h) "financial year" means the period starting on the 1st of April and ending on the 31st of March;
- (i) "guardian" means natural or legal guardian of the beneficiary;
- (j) "Government" means the Government of India in the Ministry of Finance;
- (k) "interest rate" means the rate, as may be notified by the Government, to be applicable for a complete or part of the financial year;
- (l) "maturity" means maturity of an Account on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening;
- (m) "post office" means any post office in India doing savings bank work and authorized to open an Account under these rules;
- (n) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (o) "CBS" means Core Banking Solution platform or any other electronic platform which electronically connects all offices of a Bank and or the postal department simultaneously or in phases, for bringing speed, uniformity and ease in operational matters.

3. Application of Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981.-

The provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981 framed under the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873) may be applied in relation to matters for which no provision has been made in these rules.

4. Opening of Account .-

- (1) The Account may be opened by the guardian in the name of a beneficiary who has not attained the age of ten years as on the date of opening of the Account:

Provided that nothing in these rules shall affect a beneficiary born on or after the 2nd December, 2003, whose Account was opened on or before the 2nd December, 2015.

- (2) Every beneficiary shall have a single Account under these rules.
- (3) An application for opening of an Account in the Post Office or the Bank under these rules shall be accompanied with the birth certificate of the beneficiary in whose name the Account is to be opened, along with other documents relating to identity and residence proof of the guardian.
- (4) An Account under these rules shall be opened for a maximum of two girl children in one family:

Provided that more than two Accounts may be opened for girl children in a family if such children are born in the first and/or in the second order of birth, on production of a certificate to this effect from the competent medical authority regarding the birth of such multiple girl children in the first two orders of birth in a family:

Provided further that the above proviso shall not apply to girl children of the second order of birth if the first order of birth in a particular family results in two or more surviving girl children.

5. Deposits. -

(1) The Account may be opened with a minimum initial deposit of one thousand rupees and thereafter any amount in multiples of one hundred rupees may be deposited in an Account subject to the condition that a minimum of one thousand rupees shall be made as deposit in a financial year in one Account.

(2) The total money deposited in an Account shall not exceed one lakh fifty thousand rupees in a financial year:

Provided that the deposit in excess of one lakh fifty thousand rupees in any financial year shall, if accepted due to any accounting error, not be eligible for any interest:

Provided further that such amount, which is deposited in excess of an annual ceiling of one lakh fifty thousand rupees, may be withdrawn anytime by the depositor.

(3) Deposits may be made in an Account till the completion of a period of fifteen years from the date of opening of such Account.

(4) An Account in which minimum amount as specified in sub-rule (1) has not been deposited shall be considered as an Account under default:

Provided that an Account under default may be regularised on payment of a penalty of fifty rupees per year along with the such minimum specified amount for the year or years of default.

(5) If in the case of any Account, the default is not regularised within fifteen years of the opening of the Account, then the whole deposit, including the deposits made prior to the date of default, shall be eligible only for interest rate prescribed for Post Office Savings Bank at the time of its maturity and any amount credited wrongly by way of interest into an Account under default shall be reverted to the Government account as soon as it comes to the notice of the Bank or the post office concerned.

(6) Sub-rule (5) shall not apply if the default occurred because of the death of the guardian of the Account holder who opened the account and in such cases, the Account shall be eligible for interest under rule 7.

6. Mode of deposit and date of credit.-

(1) The deposit in the Account may be made by the guardian or by the beneficiary concerned if such beneficiary has crossed the age of ten years.

(2) The deposit may be made.-

(a) in cash; or

(b) by cheque or demand draft drawn in favour of the postmaster of the post office concerned or the Manager of the Bank concerned where the Account is opened, with an endorsement on the back of such instrument made and signed by the depositor indicating the name of the Account holder and Account number in which the deposit is to be credited; or

(c) through electronic means (e-transfer) in the concerned post office or Bank if such post office or bank has access to the facility of CBS.

(3) The date of credit of the deposit to the Account shall be determined as under:

(a) where the deposit is made by cheque, the date of encashment of the cheque;

(b) where the deposit is made by demand draft, the date of submission of the same to the Bank or post office; and

(c) where the deposit is made by e-transfer, the date of deposit.

7. Interest on deposit.-

(1) The interest on deposit shall be compounded yearly at the rate notified by the Government in the Official Gazette from time to time and shall be credited, rounded off to the nearest rupee, to the Account of the beneficiary at the end of each financial year.

(2) The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in an Account on the deposits made between the close of the tenth day and the end of the month.

8. Operation of Account.-

- (1) The Account shall be operated by the guardian till the beneficiary Account holder attains the age of ten years or till the beneficiary Account holder attains the age of eighteen years.
- (2) The Account shall be operated by the beneficiary Account holder after such Account holder attains the age of eighteen years:

Provided that the Account may be operated by the beneficiary Account holder after such Account holder attains the age of ten years.

9. Premature closure of Account.-

- (1) In the event of death of the Beneficiary Account holder, the Account shall be closed immediately, on the production of death certificate issued by the competent medical authority, and the balance at the credit of the Account and interest due thereon till the date of death shall be paid to the guardian.
- (2) If, after the opening of an Account, the Account holder becomes a non-citizen or non-resident of India, intimation to this effect shall be given by the guardian or the Account holder to the post office or the Bank concerned, as the case may be, within a period of one month from the date of such status of the Account holder's citizenship or resident status.
- (3) In the event of change of status of the Account holder's citizenship or residential status, no interest shall be deemed to accrue to the Account from the change of such status and the Account shall be deemed to be closed prematurely from that date.
- (4) The balance at the credit of an Account on the date of deemed closure under sub-rule (3) shall -
 - (a) be returned, along with interest due, to the Account Holder and if the account holder is not alive, then to the guardian;
 - (b) in case, any interest was credited to the Account after the change of resident status or citizenship of the Account holder, be reverted to the Government account by the post office or the Bank concerned, immediately on being informed of such change in the status of the Account holder.
- (5) Where the post office or the Bank concerned is satisfied, in cases of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the Account holder or death of the guardian, that the operation or continuation of the Account is causing undue hardship to the Account holder, it may, after complete documentation, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the Account:

Provided that no premature closure of an Account under this sub-rule shall be made before completion of five years of the opening of such Account:

Provided further that premature closure of an Account may be permitted, anytime after the opening of an Account, for any reason other than provided under this sub-rule, and in which case the whole deposit shall be eligible only for the interest rate prescribed for the Post Office Savings Bank.

10. Pass book.-

- (1) On opening an Account, the guardian shall be given a pass book bearing the name, address and date of birth of the Account holder, date of opening of Account, Account number, name and address of the guardian, relationship with the Account holder and the amount deposited.
- (2) A duplicate passbook may be subsequently issued in the event of loss, mutilation, etc., of the original passbook, on the written request of the guardian or the Account holder, on payment of a fee of fifty rupees and such fees shall be creditable to the Government account.
- (3) The guardian or the Account holder shall have the option to maintain the Account records exclusively in electronic form, provided the post office or Bank concerned has access to the facility of CBS.

11. Transfer of account.-

- (1) The Account may be transferred anywhere in India and from or to post offices and from or to Banks and between post office and Bank, free of cost on furnishing of proof of shifting of residence of either the guardian or the Account holder and otherwise, on payment of a fees of one hundred rupees to the post office or the Bank to which the transfer is made.
- (2) The process of transfer shall be effected electronically if the post office or the Bank concerned, has access to the facility of CBS.

12. Withdrawal.-

(1) Withdrawal of upto a maximum of fifty per cent of the balance in the Account at the end of the financial year preceding the year of application for withdrawal, shall be allowed for the purpose of higher education of the Account holder:

Provided that such withdrawal shall not be allowed unless the Account holder attains the age of eighteen years or has passed tenth standard, whichever is earlier.

(2) The application for withdrawal under sub-rule (1) shall be accompanied by a documentary proof in the form of a confirmed offer of admission of the Account holder in an educational institution or a fee-slip from such institution clarifying such financial requirement.

(3) The withdrawal under sub-rule (1) may be made as one lump sum or in instalments, not exceeding one per year, for a maximum of five years, subject to the ceiling specified in sub-rule (1):

Provided that the amount of withdrawal shall be restricted to the actual demand of fee and other charges required at the time of admission as shown in the offer of admission or the relevant fee-slip issued by the educational institution.

13. Closure on maturity.-

(1) The Account shall mature on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening:

Provided that the final closure of the Account may be permitted before completion of such period of twenty-one years, if the account holder, on an application, makes a request for such premature closure for reasons of intended marriage of the Account holder and on furnishing of age proof confirming that the applicant will not be less than eighteen years of age on the date of marriage:

Provided that no such premature closure shall be made before one month preceding the date of the marriage or after three months from the date of such marriage.

(2) On maturity, the balance including interest outstanding in the Account shall be payable to the Account holder, on an application by the Account holder for closure of the Account, and on furnishing documentary proof of her identity, residence and citizenship.

(3) No interest shall be payable once the Account completes twenty-one years from the date of its opening.

14. Power to relax.-

Where the Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship to the Account holder, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision or provisions in respect of such Account holder, in a manner not inconsistent with the other provisions of these rules.

[F.No.2/3/2014.NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.